प्रेस नोट दिनांक 30.08.2026

थाना बारादरी जनपद बरेली

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा बाबा बनखण्डी नाथ मंदिर से शिवलिंग के 04 तांबे के नाग देवता चोरी करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार, चोरी के 04 तांबे के नाग देवता बरामद।

दिनांक 29.08.2026 को बाबा बनखण्डी नाथ महादेव मंदिर, जोगी नवादा से 108 शिवलिंग पर स्थापित 04 तांबे के नाग देवता चोरी होने की सूचना पर थाना बारादरी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना बारादरी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का विवरण/परिचयः-

दिनांक 29.08.2026 को वादी महंत श्री केदार पुरी पुत्र श्री सम्भावना नन्द पुरी नि0 बाबा बनखण्डी नाथ महादेव मंदिर जोगी नवादा थाना बारादरी, बरेली द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर परिसर में स्थित 108 शिवलिंग पर स्थापित 04 तांबे के नाग देवता चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर पर थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 1106/26 धारा 305(d) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना बारादरी पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने के साथ-साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त इसरार को संजीव के खोखे, जोगी नवादा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 04 तांबे के नाग देवता बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः–

मु0अ0सं0 1106/26 धारा 305(d)/317(2) बीएनएस थाना बारादरी जनपद बरेली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

इसरार पुत्र मुख्तयार निवासी अल्वी मस्जिद के पास थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 24 वर्ष

- मु0अ0सं0 333/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बारादरी बरेली
- मु0अ0सं0 1450/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बारादरी बरेली
- मु0अ0सं0 1012/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बारादरी बरेली

बरामदगी का विवरणः-

04 तांबे के नाग देवता

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है तथा नशा करने का आदी है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत हैं। नशा करने के लिए पैसे न होने के कारण उसने बाबा बनखण्डी नाथ मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग पर स्थापित तांबे के नाग देवताओं में से 04 नाग देवता चोरी कर लिए थे। चोरी किए गए नाग देवताओं को बेचने की फिराक में खड़ा था, तभी पुलिस द्वारा उसे चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह थाना बारादरी जनपद बरेली

उ0नि0 कुशलपाल सिंह चौकी प्रभारी जोगी नवादा थाना बारादरी जनपद बरेली

हे0कां0 उमेश कुमार थाना बारादरी जनपद बरेली

कां0 सागर खटाना थाना बारादरी जनपद बरेली